न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थी**

1. हासण खां पुत्र खान मोहम्मद — 1. तहसीलदार बाप
2. सदीक पुत्र कासम खां

जाति मुसलमान निवासी भड़ला
तहसील बाप जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 68 / 2018
उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 13/03/2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि र्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 124 / 540 रकबा 25 बीघा भूमि सरहद मौजा ग्राम ड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर प्रार्थना त्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक ला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी का टांका त्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास वास करते आ रहे है। संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व हिस्सा माना ं समझा जावेगा। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त ला आ रहा है लेकिन पटवारी हल्का ने बिना किसी विधिक आदेश के एवं बिना विधिक प्रकिया नाये मौके की स्थिति से भिन्न प्रार्थीण के खातेदारी की भूमि की राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रैस में मीम कर दी। जो सरासर गलत एवं अविधिपूर्ण है जबकि नक्शा ट्रै में की गई तरमीम अनुसार के पर प्राथीग्ण काबिज नहीं ह। इसलिये प्रार्थीगण खसरा नंबर 124 / 540 रकबा 25 बीघा की शा ट्रैस में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया ा। अप्राथी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया ा। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि भड़ला के खसरा नबंर 124 / 540 रकबा 25.00 बीघा की नक्शा ट्रैस में मौके की स्थिति से न की गई तरमीम को दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया की प्रार्थीगण के कब्जा काश्त ार तरमीम की जानी उचित है।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–2075, नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। ग्राम भड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 124/540 रकबा 25.00 बीघा भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण उक्त भूमि की पूर्व में हुई तरमीम को निरस्त करना चाहता है प्रार्थीगण ने प्रार्थना के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नही किये है पूर्व में की गई तरमीम के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि पूर्व में की गई तरमीम गलत है। अतः पर्याप्त सबूतों के अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.06.09 13:56:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: